



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3718]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 18, 2018/भाद्र 27, 1940

No. 3718]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 2018/BHADRA 27, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2018

का.आ. 4885(अ).—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ **मैसर्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, (पैन: AAEAT4818Q)** नामक संगठन को **निर्धारण वर्ष 2019-20 और इससे आगे की अवधि के लिए** केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्यों से जुड़े **“अन्य संस्थान”** की श्रेणी में अनुमोदित किया जाता है, नामतः:-

(i) अनुमोदित संगठन अर्थात् **मैसर्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च** को प्रदत्त राशि का उपयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा। अनुमोदित संगठन द्वारा गैर-आईसीएमआर संस्थानों को वैज्ञानिक अनुसंधान करने हेतु दिए गए अनुदान/दान, उक्त अधिनियम की धारा 35(i)(ii) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे। हालांकि, आईसीएमआर संस्थान द्वारा किसी सहयोगी अनुसंधान गतिविधि को करने के लिए अनुमोदित संगठन द्वारा दिए गए अनुदान/दान उक्त अपवर्जन के तहत कवर नहीं किए जाएंगे।

(ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों अथवा अपने पंजीकृत छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;

(iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में **अलग लेखा बहियां** रखेगा जिनमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, ऐसी खाता बहियों की उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की 5518 GI/2018

उपधारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;

(iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-

(क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित **अलग लेखा बहियां** रखने में असफल रहता है; अथवा

(ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में यथा उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(घ) अपने अनुसंधान कार्य कलापों को करना बंद कर देता है अथवा इसके अनुसंधान कार्य कलापों को वास्तविक नहीं पाया जाता है; अथवा

(ड.) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका पालन नहीं करेगा।

[अधिसूचना सं. 54/2018/फा. सं. 203/15/2018-आ.क.नि.-॥]

राजराजेश्वरी आर., अवर सचिव